दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार, 12 जुलाई, 2005/आषाढ़ 21, 1927(शक)

सं. 102

0

विषय: सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ:-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री रमेश बिधुड़ी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत बदरपुर चौक, मथुरा रोड़, नई दिल्ली से दिनाँक 08.07.2005 को पूर्वाहन 11.35 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से पूर्वाहन 11.50 बज़े रिहा कर दिया गया"।

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 12th July, 2005/21 Ashadha 1927 (Saka)

No. 102

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, South District, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Ramesh Bidhuri, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at Badarpur Chowk, Mathura Road, New Delhi at 11.35 AM. on 8.7.2005.

They were released at 11.50 AM. from the same place and same date."